



न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना
पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 300/2021

दायर दिनांक 12.11.2021

वादी

1. समाउदीन पठान पुत्र शोकत
खां पठान उम्र 43 वर्ष जाति
शैरानी निवासी शैरानी आबाद
तहसील-डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. अलाउदीन पुत्र शोकत खां उम्र 52 वर्ष
2. इस्लाम बानों पुत्री शौकत खां उम्र 46 वर्ष
3. जुल्ले खां उर्फ गुले खां पुत्री शौकत खां उम्र 44 वर्ष
4. फातमा बानों पत्नि शौकत खां उम्र 69 वर्ष
5. मुनी बाई पुत्री शौकत खां उम्र 50 वर्ष
6. रूकिया बानो पुत्री शौकत खां उम्र 48 वर्ष
7. सुफिया बानों पुत्री शौकत खां उम्र 49 वर्ष समस्त
जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज0।
8. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, 53 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी।

--:: निर्णय ::--

दिनांक 14.05.2022

वादी का खातेदारी वाके सरहद शैरानी आबाद के खेत खसरा सं0 268 रकबा 1.2100 हैक्टे0 व सरहद खाटु खुर्द के खेत खसरा सं0 25 रकबा 1.6000 हैक्टे0 व खसरा सं0 72 रकबा 1.4200 हैक्टे0 भूमि में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनांक 17.12.2021 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 922 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 922 दिनांक 20.04.2022 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)



—: आदेश :-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद शैरानी आवाद के खेत खसरा सं० 268 रकबा 1.2100 हैक्टे० व सरहद खाटु खुर्द के खेत खसरा सं० 25 रकबा 1.6000 हैक्टे० व खसरा सं० 72 रकबा 1.4200 हैक्टे० भूमि में वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 922 दिनांक 20.04.2022 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 922 दिनांक 20.04.2022 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (सहायक कलेक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 14.05.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।


(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
डीडवाना (सहायक कलेक्टर)
डीडवाना

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 300/2021

दायर दिनाँक 12.11.2021

वादी

प्रतिवादीगण

1. समाउदीन पठान पुत्र शोकत
खां पठान उम्र 43 वर्ष जाति
शैरानी निवासी शैरानी आबाद
तहसील-डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम

1. अलाउदीन पुत्र शोकत खां उम्र 52 वर्ष
2. इस्लाम बानों पुत्री शौकत खां उम्र 46 वर्ष
3. जुल्ले खां उर्फ गुले खां पुत्री शौकत खां उम्र 44 वर्ष
4. फातमा बानों पत्नि शौकत खां उम्र 69 वर्ष
5. मुनी बाई पुत्री शौकत खां उम्र 50 वर्ष
6. रूकिया बानो पुत्री शौकत खां उम्र 48 वर्ष
7. सुफिया बानों पुत्री शौकत खां उम्र 49 वर्ष समस्त
जाति शैरानी निवासीगण शैरानी आबाद तहसील
डीडवाना जिला नागौर राज0।
8. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत


घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, 53 R.T.Act.

दिनाँक 14.05.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी
मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश
होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद शैरानी
आबाद के खेत खसरा सं0 268 रकबा 1.2100 हैक्टे0 व सरहद खाटु खुर्द के खेत
खसरा सं0 25 रकबा 1.6000 हैक्टे0 व खसरा सं0 72 रकबा 1.4200 हैक्टे0 भूमि में
वादी घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर,
तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 922 दिनाँक 20.04.2022 में
वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता
है।


विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 922 दिनाँक 20.04.2022 निर्णय एवं
डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा
करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 14.05.2022 को राष्ट्रीय
लोक अदालत में जारी की गयी।


सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्तफर्रिक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुत्तफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलक्टर
 डीडीवाना (नामौर)